प्रेस नोट

जनपद – संतकबीरनगर

दिनाँक 15.10.2025

- ***थाना धनघटा पुलिस की जाँच में झूठी निकली चोरी की सूचना***
- ***कोई भी सूचना प्राप्त होने पर उसकी सत्यता की पुष्टि के पश्चात ही पुलिस विभाग अथवा अन्य सम्बन्धित विभाग को दें सूचना***
- ***झूठी एवं फर्जी सूचना देने वाले व सहयोग करने वालों पर होगी सख्त कार्यवाही: एस0 पी0 संतकबीरनगर***

झूठी सूचना का विवरण- वादिनी निवासी नटवावर थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर द्वारा डायल-112 पर दिनांक 15.10.2025 को सुबह सूचना दिया गया कि मै घर के बरामदे में सोयी थी तथा मेरे सोने का हार, माला, रिंग, मंगलसूत्र, सूई धग्गा, बाली, नेक और कान का गहना किसी अज्ञात चोर द्वारा कर लिया गया है।

उक्त सूचना पर पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी धनघटा **श्री प्रियम राजशेखर पाण्डेय,** प्रभारी निरीक्षक थाना धनघटा **श्री जयप्रकाश दूबे,** निरीक्षक अपराध **श्री रामेश्वर यादव**, वरिष्ठ उपनिरीक्षक श्री राजेश कुमार दूबे, चौकी प्रभारी बसवारीगांव उ0नि0 श्री अवधेश सिंह यादव द्वारा मय पुलिसबल के साथ घटनास्थल पर पहुँचकर घटनास्थल निरीक्षण कर शिकायतकर्ता व उनके परिवारजन से पूछताछ करने पर घटना संदिग्ध प्रतीत हुयी। शिकायतकर्ता से घटना के सम्बन्ध में पूछताछ किया गया तो बतायी कि रात को मै अपना सोना व चांदी का गहना चारपाई में रस्सी के सहारे बाध कर अपने पास लेकर सोयी थी। सुबह उठकर देखी तो मेरा चांदी का सामान मेरे बैग में था तथा सोना का सामान चोरी हो गया था तथा वही पर मेरा 15 वर्ष का लड़का भी सोया था, मेरी देवरानी घर के अन्दर सोयी थी। घटना संदिग्ध प्रतीत होने पर आस-पड़ोस के लोगो के साथ शिकायकर्ता महिला को साथ लेकर घर की तलाशी ली गयी तो घर के अन्दर रखे दूसरे आलमारी में चोरी हुआ सारा सामान बरामद हुआ। शिकायकर्ता बार-बार माफी मांग रही है कि दोबारा भविष्य में ऐसा झूठी सूचना नही दिया जायेगा।

झूठी सूचना देना न केवल सामाजिक व्यवस्था को बाधित करता है, बल्कि इससे सार्वजनिक संसाधनों का अनावश्यक दुरुपयोग होता है एवं जनमानस में भय या भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है। अतः सभी नागरिकों से आग्रह है कि कोई भी सूचना प्राप्त होने पर उसकी सत्यता की पुष्टि के पश्चात ही पुलिस विभाग अथवा अन्य सम्बन्धित कार्यालय को सूचित करें। झूठी, भ्रामक अथवा निराधार शिकायत / सूचना देने वालों के विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी, जिसकी सजा छह माह से दो वर्ष तक का कारावास एवं पांच हजार रुपये तक का जुर्माना अथवा दोनो हो सकते हैं।

पुलिस विभाग जनसामान्य को आश्वस्त करता है कि शांति, सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कृतसंकल्पित है। किसी भी असत्य सूचना को कतई प्रोत्साहित नहीं किया जाएगा।

“ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप गोवध निवारण अधिनियम के तहत अभियुक्त को न्यायालय उठने तक की अभिरक्षा व 1200रु0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर *श्री संदीप कुमार मीना* के निर्देशन में अपराधों पर कठोरता से नियंत्रण लगाने एवं अभियुक्तों को अधिकाधिक दंडित कराने हेतु सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर अभियोगों को चिन्हित कराते हुए मानीटरिंग सेल को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये हैं।

उक्त निर्देश के क्रम में संयुक्त निदेशक अभियोजन व मानीटरिंग सेल के संयुक्त प्रयास के फलस्वरुप दिनाँक 14.10.2025 को मा0 न्यायालय सीजे(जेडी)/एसीजेएम संतकबीरनगर द्वारा थाना बखिरा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 226/2002 धारा 3/5A/8 गोवध निवारण अधिनियम के मामलें में अभियुक्त इम्तियाज उर्फ नाटे पुत्र हबीबुल्लाह निवासी दुर्गजोत थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर को जुर्म स्विकारोक्ति के आधार पर धारा 3/5A/8 गोवध निवारण अधिनियम के मामले में न्यायालय उठने तक की अभिरक्षा व 1200 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, अर्थदण्ड अदा न करने पर 30 दिवस का साधारण कारावास भुगतना होगा।

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 06 अभियुक्त गिरफ्तार

•थाना महुली पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
•थाना बखिरा पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 04 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
•थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 5995 द्वारा सड़क दुर्घटना में घायल 04 व्यक्तियों को भेजवाया गया अस्पताल– पीआरवी 5995 को थाना बेलहरकला क्षेत्रांतर्गत अमथरी से कालर द्वारा दो बाईकों के आपस में टक्कर होने के कारण दुर्घटना में 04 व्यक्तियों के घायल होने के सम्बन्ध में (01.मोहम्मद अलीम पुत्र अब्दुल लतीफ, 02.सादिकुन निशा पत्नी अब्दुल मजीद निवासीगण ग्राम सांड़े थाना बेलहरकला, 03.राजेन्द्र पुत्र जवाहर, 04.दिनेश पुत्र सूर्यनाथ निवासीगण ग्राम भैंसा माफी थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर) सूचना दिया। सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा त्वरित गति से घटनास्थल पर पहुंचकर घायलों को 108 एम्बुलेंस की सहायता से इलाज हेतु सीएचसी मेंहदावल ले जाया गया। घटना के सम्बन्ध में थाना बेलहरकला को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता व सूझबूझ से घटनास्थल पर तत्परता से पहुंचकर घायलों को इलाज हेतु पीआरवी वाहन एवं 108 एम्बुलेंस की सहायता से सीएचसी मेंहदावल ले जाया गया, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गयी।

पीआरवी स्टाफ- आ0 हरिशंकर गोंड, आ0 प्रवीण कुमार, हो0चा0 मो0 रफीक।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 382 वाहनों से 4,20,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनाँक 15.10.2025 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 382 वाहनों से 4,20,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

मिशन शक्ति 5.0 अभियान के अन्तर्गत थाना बखिरा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के मामले में वाँछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

मिशन शक्ति 5.0 अभियान के अन्तर्गत महिलाओं / बालिकाओ पर अपराधों के रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी मेंहदावल ***श्री सर्वदवन सिंह*** के निकट पर्यवेक्षण में थाना बखिरा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 387/2025 धारा 65(2)/351(3) बीएनएस व 5M/6 पाक्सो एक्ट थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर के मामले में वांछित अभियुक्त नाम पता अकबर अली पुत्र अब्बास अली निवासी ग्राम कुड़ीमाफी थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर को ग्राम पटवरिया नहर पटरी से आज दिनाँक 15.10.2025 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि वादिनी द्वारा दिनाँक 14.10.2025 को थाना बखिरा पर वादिनी की नाबालिग पुत्री के साथ अभियुक्त उपरोक्त द्वारा दुष्कर्म करने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। थाना बखिरा पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए, त्वरित कार्यवाही करते हुए आज दिनाँक 15.10.2025 को उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया ।

***गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण*-** प्र0नि0 श्री राकेश कुमार सिंह, का0 शिशंकर यादव, का0 अजय यादव।